जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

अवैद्य ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी में शामिल निगम कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी

एफआईआर में भी शामिल किया जाएगा नाम

जयपुर, 24 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम प्रबन्धन द्वारा सतर्कता जांच अभियान के दौरान पकड़े जा रहे अवैद्य ट्रांसफार्मरा के प्रकरणों को देखते हुए सभी सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया है कि ऐसे अवैद्य ट्रांसफार्मरों की फोटो सहित सूचना जिसमें क्षेत्र व व्यक्तियों का नाम शामिल हो 15 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। यदि फील्ड स्टाफ द्वारा निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नही करवाई गई और जांच के दौरान अवैद्य ट्रांसफार्मर पकड़े जाएगें तो सम्बन्धित निगमकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जाएगा।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि निगम को सूचना प्राप्त हुई है कि जयपुर डिस्कॉम के विभिन्न क्षेत्रों में निजी/निगम के अवैद्य ट्रांसफार्मर लगाकर गैर कानूनी तरीके से वृहत स्तर पर बिजली चोरी की जा रही है। सतर्कता जांच दस्तों द्वारा चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, पावटा, बूंदी व अकलेरा में अवैद्य ट्रांसफार्मर पकड़े गए है। इस तरह के अवैद्य ट्रांसफार्मर से लम्बे समय तक बिजली चोरी बिना फीडर इन्चार्ज/कनिष्ठ अभियन्ता की जानकारी के नही हो सकता है। इससे यह संकेत मिलते है कि गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी करवाने में निगम कर्मी की संलिप्तता है जिसके लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान निगम क्षेत्र में अवैद्य ट्रांसफार्मर पाया जाता है और उसकी सूचना उपलब्ध करवाई गई सूची में नही है तो सम्बन्धित निगमकर्मी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसका नाम एफआईआर में शामिल किया जाएगा।

श्री बोहरा ने बताया कि सिस्टम से जुड़े हुए अवैद्य ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक संख्या में सूचना देने वाले फील्ड कर्मचारियों को डिस्कॉम प्रबन्धन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को अवैद्य ट्रांसफार्मर की लिस्ट प्राप्त होते ही उसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता अथवा अधीक्षण अभियन्ता विजीलेन्स को अगिम कार्यवाही हेतु भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी अधीक्षण अभियन्ता इस कार्य की प्रभावी मानिटरिंग करेगें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 447/2016